

2018/00258

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- भूपेन्द्र कुमार यादव
देशराम, जेठाराम पिं. मदाराम R.A.S
जाति - जाट, निवासी - साइमों का तला
वागाराम, ताजाराम, पिं. मदाराम
तुलसी पत्नी मदाराम, दमाराम,
उनवान भोराम पिं. पेमाराम
बनाम मोम-जाट, नि. - साइमों का तला

दावा बाबत 88 R.T Act

मुकदमा नम्बर :- 114/18

निर्णय दिनांक :- 4.6.2018

वादी की ओर से देशराम की व प्रतिवादी की ओर से वागाराम की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 4.6.2018 को (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार कर मोम साइमों का तला
के खेत ख.नं. 1157/695, 1207/812 व 1211/812 भूमि में वादी का
नाम देशराम की जगह देशराम वहरचन्द की जगह जेठाराम
शुह नाम उल्लेख करने की व्यवस्था की जाती है। निर्णय
की पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को अधिसूचित किया जा रहा है।
पत्रावली के लिए शुमार होकर दाखिलदफ्तर हो
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....